



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पाप 7, 1938

No. 12]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSA 7, 1938

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

भा.मि.भा. 13(अ).—निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छावनियों के (माध्यस्थ समिति की प्रक्रिया का विनियम) नियम, 1985 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा छोड़ी गई बातों के विषय उक्त अधिनियम की धारा 346 की उपधारा (1) की अपेक्षाानुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम पर केंद्र सरकार द्वारा उस तारीख, जिसको इस अधिसूचना से प्रकाशित राजपत्र की प्रतियाँ जमता को उपलब्ध कराई गई हैं अथवा 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को निवेशक (भूमि एवं छावनी) रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली- 110011 को भेजा जाए।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (माध्यस्थ समिति की प्रक्रिया का विनियम) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से अन्यथा न हो, -
- (क) "अधिनियम" में छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;
- (ख) 'माध्यस्थम समिति' अधिनियम की धारा 327 के तहत गठित माध्यस्थम समिति का गठन से अभिप्रेत है;
- (ग) नियम में प्रयुक्त शब्द और भाव, परंतु ये अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और परिभाषित हैं, अधिनियम में उनका अर्थ समान होगा।
3. माध्यस्थम आवेदन मांखिल करने की प्रक्रिया.—अधिनियम की धारा 325 के तहत प्रतिकर का दावा करने वाला व्यक्ति शीर्ष में आवेदन निम्न रूप में कर सकता है, अर्थात: -
- (i) उसके दावे के ब्यारे और मामले का आधार;
- (ii) मूल माध्यस्थम समझौता, यदि कोई हो, जिसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हुआ है या कोई संगत दस्तावेज या सूचना या जिस पर भरोसा किया जा सके।
4. माध्यस्थम समिति का संयोजन.—नियम 3 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर बोर्ड विवाद में मामले का निर्धारण करने के लिए माध्यस्थम समिति की बैठक का आयोजन करेगा और मुख्य अधिशासी अधिकारी सभी संगत दस्तावेजों और उनकी सूचना के आधार पर एक उत्तर दर्ज करेगा।
5. आवेदक को उत्तर भेजना.—मुख्य अधिशासी अधिकारी माध्यस्थम समिति के समक्ष उत्तर की एक प्रति रखेगा और उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों, यदि कोई हैं, के साथ पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से आवेदन प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि या माध्यस्थम समिति द्वारा लिखित में स्वीकृत विस्तारित समय के भीतर आवेदक को भेजेगा।
6. आवेदक द्वारा जवाब का विवरण भेजा जाना.—आवेदक समिति द्वारा भेजे गए उत्तर प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियम 5 के तहत माध्यस्थम समिति द्वारा स्वीकृत विस्तारित समय के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकता है।
7. दस्तावेजों की मौख प्रतियां.—सभी पक्षों द्वारा समझौते के लिए प्रस्तुत किए गए सभी बयान, उत्तर, अन्य दस्तावेज सभी कार्यालयों और सभी संबंधित दस्तावेज पांच प्रतियों में होंगे।
8. पक्षों की सुनवाई.—माध्यस्थम समिति पक्षों की सुनवाई के बाव उत्तर के संदर्भ और उनके साथ लगे दस्तावेजों पर निर्णय कर सकती है।
9. पक्षों की हजरि.—सुनवाई के दौरान किसी एक पक्ष को स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत कार्टसेल या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हजरि होने का हकदार होगा।
10. समिति के लिए प्रक्रिया.—माध्यस्थम समिति किसी एक पक्ष या पक्षों द्वारा माध्यस्थम समिति के निर्देशों के लिए किसी भी विफलता के होगे हुए भी संघर्ष के साथ आगे बढ़ सकती है और माध्यस्थम समिति द्वारा निश्चित समय और स्थान पर किसी एक या दोनों पक्षों के गैरहाजिर होने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर सकती है।
11. चार महीनों में निर्णय किया जाना.—संदर्भ दायर होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर माध्यस्थम समिति निर्णय लेगी या जैसा कि पक्ष सहमत हों, और जहां निर्णय ले लिया गया है, मुख्य अधिशासी अधिकारी निर्णय की एक मूलप्रति आवेदक को पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से भेजेगा।
12. जागत का अधिनिर्णय.—प्रभार और अन्य व्यय, यदि कोई हो, सहित संदर्भ की लागत माध्यस्थम समिति का विवेकाधिकार होगा, जो निर्देश दे सकती है कि कौन-सा पक्ष, किस मामले में और ऐसे प्रभारों का परिमाण और अन्य व्यय और उसके विनी भाग को वहत करेगा और चुगतान करेगा।

[फा. सं. 2(3)2016/डी(न्यू एंड सी)]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2016

S.R.O. 13(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) and in supersession of the Cantonments (Regulation of Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 1985, published in the Gazette of India, Part II, section 4, dated the 31st October 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published as required by sub-section (1) of the said section 346 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period will be taken into consideration by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director (Land and Cantonment) Ministry of Defence, Sena Bhaawan, New Delhi, 110011.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
(b) "Committee of Arbitration" means the Committee of Arbitration constituted under section 327 of the Act;
(c) words and expressions used in these rules, but not defined and defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act.
3. **Procedure for filing arbitration application.**—The person claiming compensation under section 325 of the Act may apply to the Board containing the following, namely: -
(i) details of his case and the basis of his claim;
(ii) original arbitration agreement, if any, out of or in connection with which the dispute has arisen or any document or information relevant or relied upon.
4. **Convening of Committee of Arbitration.**—On receipt of an application under rule 3, the Board shall convene a Committee of Arbitration to determine the matter in dispute and the Chief Executive Officer may file a reply accompanied by all relevant documents and information thereto.
5. **Reply to be sent to the applicant.**—The Chief Executive Officer shall place a copy of the reply before the Committee of Arbitration and also send a copy of the reply along with the documents, if any, by registered or speed post, to the applicant for his information within a period of forty five days, of the date of receipt of application or within such extended time as may be granted by the Committee of Arbitration for reasons to be recorded in writing.
6. **Statement of reply to be sent by the applicant.**—The applicant may, within a period of thirty days of the date of receipt of the reply or within such extended time as may be granted by the Committee of Arbitration under rule 5, submit a counter reply.
7. **Documents to be in quintuplicate.**—All statements, replies and other documents and papers submitted by the parties to agreement and all documents appended shall be in quintuplicate.
8. **Hearing of parties.**—The Committee of Arbitration may decide the reference on the reply and documents accompanying them after hearing the parties.

9. **Appearance by parties.**—At a hearing, a party shall be entitled to appear either himself personally or through his counsel or a duly authorised representative.

10. **Procedure for the Committee.**—The Committee of Arbitration may proceed with the reference notwithstanding any failure by a party or parties to comply with any of the directions of the Committee of Arbitration and may also proceed ex-parte with the reference in the absence of any or both the parties who fail to attend at the time and place appointed by the Committee of Arbitration.

11. **Award to be made in four months.**—The Committee of Arbitration shall make an award within a period of four months from the date of entering on the reference or within such extended time as the parties may agree and where an award has been made, the Chief Executive Officer shall furnish a true copy of the award to the applicant by registered or speed post.

12. **Costs to be awarded.**—The costs of the reference including charges and other expenses, if any, shall be of the discretion of the Committee of Arbitration, which may direct as to which party, and in what manner and the extent of such charges and other expenses or any part thereof shall borne and be paid.

[F. No 2(3)2015/D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

Nishok
Kumar Parja

(Digitally signed by
Nishok Kumar Parja
Date: 2016.12.29
10:58:40+05:30)

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the page, including references to 'Department of Consumer Affairs' and 'Public Information System']

Table with 3 columns: S.No., Name of Department, Date on which public information was made available to the public through the Public Information System.

S.No.	Name of Department	Date on which public information was made available to the public through the Public Information System

For necessary action please...
[Signature]
Section Officer (Canteen)
PW-DGCE